राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)

खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा

Email id:- me.bhilwara@rajasthan.gov.in

क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2021/ 2706 दिनांकः 08/10/2021

निलामी सूचना संख्या 28/2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीलवाड़ा जिले के इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54(2) व 61(7) के तहत जब्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा ~~180~~ 45 टन आरक्षित दर 400/–रू. प्रतिटिन (दर जिला टास्क फोर्स भीलवाड़ा) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे मौके पर खुली निलामी के माध्यम से दिनांक **11.10.2021** को की जावेगी। जिसका विवरण कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु 1000/– रू का डी.डी./बैंकर्स चैक/नगद खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (Mining Engineer Bhilwara) के नाम से जमा कराकर निलामी में भाग ले सकते है।

विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी जब्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन 45 टन की समस्त क्षेत्रों के लिए अलग–2 बोली दरें मय बयाना/अमानत राशि 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नगद जो खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के नाम हो, मोके पर जमा कराने होंगे। नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

कनि० अभि० 08/10/2021

कृ० खनि अभियन्ता

भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा
Email id:- me.bhilwara@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : खअ / भील / निविदा / 2021 / दिनांकः / 10 / 2021

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

भीलवाड़ा जिले में इस कार्यालय के क्षेत्राधीन विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन / निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) पडी हुई है, जिसे दिनांक **11 / 10 / 2021** को प्रातः 10 बजे से सांयः 6 बजे तक नीलाम किया जाना हैः–

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम जहां जब्त की हुई बजरी पडी हुई है।	बजरी की अनुमानित मात्रा	अनुमानित कीमत	अमानत राशि	निलामी समय	निलामी अधिकारी / कर्मचारी का नाम	दूरभाष नं0
1	**Bardod, teh.- Hameergarh dist.- Bhilwara**	45	18000	1000	10:00 एएम		
	Total	**45**					

निविदा कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :– नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार / विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. निविदा हेतु क्षैत्र में उपरोक्तानुसार दिवस पर दिए गए दूरभाष नम्बरों पर संपर्क किया जा सकता है। सभी निविदाऐं संबधित दिनांक को उपरोक्तानुसार क्षैत्र में व्यक्तिगत उपस्थित हो की जा सकेगी।
2. प्रत्येक क्षेत्र बयाना / अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नगद जो खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के नाम हो, क्षैत्र में उपस्थित कार्मिक को प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो / कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी / निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित क्षैत्र / परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जब्तशुदा बजरी क्षैत्र / परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।

Scanned with CamScanner

6. सफल निविदादाता को उसी कार्य दिवस में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि अधिकतम 5 दिवस ही अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित क्षैत्र/परिसर की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिगं, अनलोडिंग लेबर व परिवहन ईत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी। इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादी को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी ।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/TCS/DMFT/RSMET की राशि अतिरिक्त जमा करा कर विभाग को अधिकतम 3 कार्यदिवस में चालान प्रस्तुत करना होगा ।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार /अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निलामी खनि अभियंता भीलवाड़ा के पास सुरक्षित होगें।
11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थित में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम बजरी के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया गया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परविहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षैत्र के संबधित नम्बर अंकित अधिकारियों को Whatsapp पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

Scanned with CamScanner

16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संवंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्ते सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।
23. सभी विवादों का न्याय क्षैत्र भीलवाड़ा होगा।
24. उक्त निलामी को स्थगित करने, निलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

08/10/2021
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2021/2707-2712 दिनांकः08/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
2. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
3. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर–जोन, उदयपुर
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत, भीलवाड़ा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना ..[illegible]......
6. सहायक खनि अभियन्ता, कार्यालय हाजा।

08/10/2021
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner